भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1101

(13 दिसम्बर 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में डीएवाई-एनआरएलएम

1101. श्री दिलीप घोषः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वीकृत/आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में जिले-वार कितने स्व-सहायता समूह लाभान्वित हो रहे हैं;

(घ) वित्त वर्ष 2014-2015 से वित्त वर्ष 2022-23 तक पश्चिम बंगाल में स्व-सहायता समूहों को कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ङ) पश्चिम बंगाल में वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को संवितरित किए गए कुल ऋणों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के लिए ऐसा कोई ऋण माफ किया गया है और यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या जिला और राज्य स्तर पर ऐसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कोई विशिष्ट सरकारी दिशानिर्देश हैं; और

(ज) यदि हां, तो निगरानी समिति का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी समिति की कितनी बैठकें हुई हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसकी शुरूआत जून , 2011 में की गई थी। इसका कार्यान्वयन दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन मोड आधार पर पूरे देश

में किया जा रहा है। दिनांक 30 नवम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार 8.71 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 80.61 स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है।इस मिशन का उद्देश्य विविध और लाभप्रद स्वरोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीबों की आय में स्थायी आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस मिशन का उद्देश्य 4 प्रमुख घटकों अर्थात (i) ग्रामीण गरीबों की स्थायी सामुदायिक संस्थाओं (स्व-सहायता समूह (एसएचजी), ग्राम संगठनों (वीओ), क्लस्टर स्तरीय परिसंघों (सीएलएफ) को बढ़ावा देना और सामाजिक संगठन निर्माण करना; (ii) वित्तीय समावेशन, (iii) सतत आजीविका; और (iv) अभिसरण और हकदारियों में निवेश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अलावा, ग्रामीण गरीबों की आय में निरंतर वृद्धि करने के लिए मिशन के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) , स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) , दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी विभिन्न उप-योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख): पश्चिम बंगाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के तहत आवंटित निधियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां करोड़ रुपए में
2018-19	313.74
2019-20	492.60
2020-21	532.53
2021-22	1073.39
2022-23	1041.70

(ग): पश्चिमी बंगाल में लाभान्वित स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की जिला-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ): वित्त वर्ष 2014-15 से 30 नवंबर, 2022 तक पश्चिम बंगाल में एसएचजी को 2560.47 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता (परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि) के लक्ष्य की तुलना में 2158.15 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

(ड.): पश्चिम बंगाल में वित्तीय वर्ष 2014-15 से बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को संवितरित कुल ऋण का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च): वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 तक पश्चिम बंगाल में महिला एसएचजी के लिए कोई ऋण माफ नहीं किया गया है।

(छ) और (ज): राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में इस कार्यक्रम की गहन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का प्रावधान है। इस कार्यक्रम की कुशलतापूर्वक निगरानी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें , राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) द्वारा आवधिक रिपोर्टें, मंत्रालय की कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) द्वारा आवधिक बैठकें , राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ताओं और क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा की निगरानी की रिपोर्टें प्रस्तुत करना , विभिन्न एमआईएस मॉड्यूल के माध्यम से निगरानी के साथ-साथ सभी राज्यों की द्विमासिक वित्तीय प्रबंधन समीक्षा शामिल है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने एसएचजी द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के लिए एंड्रॉ एड आधारित प्रौद्योगिकी की सहायता से एसएचजी , ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय परिसंघों में होने वाले लेनदेन को दर्ज करने के लिए एक उन्नत एप्लीकेशन विकसित किया है। डीएवाई-एनआरएलएम ने एसएचजी और उनके परिसंघों को सामुदायिक निवेश सहायता निधि के संवितरण की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन निधि संवितरण मॉड्यूल अपनाया है।

*****

अनुबंध-I

''पश्चिम बंगाल में डीएवाई-एनआरएलएम'' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं1101 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	जिला	स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या
1	24 परगना उत्तर	60380
2	24 परगना दक्षिण	89422
3	अलीपुरुद्वार	24525
4	बांकुड़ा	56606
5	बीरभूम	62958
6	कूचबिहार	54654
7	दार्जिलिंग जीटीए	6806
8	दिनाजपुर दक्षिण	23579
9	दिनाजपुर उत्तर	39018
10	हुगली	45743
11	हावड़ा	41180
12	जलपाईगुड़ी	34470
13	झारग्राम	20764
14	कलिम्पोंग	2177
15	मालदा	58546
16	मुर्शिदाबाद	98823
17	नादिया	57019
18	पश्चिम बर्धमान	11231
19	पश्चिम मेदिनीपुर	61329
20	पुरबा बर्धमान	53918
21	पुरबा मेदिनीपुर	82427
22	पुरुलिया	42467
23	सिलीगुड़ी महकुमा परिषद	10121
	कुल	**1038163**

अनुबंध-।।

''पश्चिम बंगाल में डीएवाई-एनआरएलएम'' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं।101 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।।

क्र. सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2014-15 से 30 नवम्बर, 2022 तक एसएचजी को संवितरित कुल ऋण (रु. करोड़ में)
1	अलीपुरद्वार	1124.44
2	बांकुड़ा	2990.45
3	बीरभूम	5594.75
4	कूचबिहार	3078.52
5	दक्षिण दिनाजपुर	1163.83
6	दार्जिलिंग जीटीए	991.05
7	हुगली	3224.70
8	हावड़ा	3484.50
9	जलपाईगुड़ी	2226.94
10	झारग्राम	755.82
11	कलिम्पोंग	224.68
12	मालदा	2859.32
13	मुर्शिदाबाद	3421.24
14	नादिया	2269.22
15	24 उत्तरी परगना	3258.80
16	पश्चिम बर्धमान	656.38
17	पश्चिम मेदिनीपुर	3813.77
18	पुरबा बर्धमान	4934.11
19	पुरबा मेदिनीपुर	6940.10
20	पुरुलिया	1326.05
21	सिलीगुड़ी महकुमा परिषद	124.40
22	24 दक्षिण परगना	4067.47
23	उत्तर दिनाजपुर	1698.99
	कुल	**60229.53**